शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 77/1157/52-1-2014-01(40)/10

प्रेषक,

राकेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 06 जून, 2014

विषय -11वीं पंचवर्षीय योजना में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार, की दि0 05.12.08 को हुई इम्पावर्ड कमेटी की 06वीं बैठक में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु केन्द्रांश की द्वितीय किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र संख्या-3/19(3)/2008-पी0पी0-I, दि0 08.12.2011 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या-2373/बावन-1-2012-1(40)/10, दिनांक 08 अगस्त, 2010 द्वारा प्रथम किश्त जारी की गयी गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- 3/19(3)/2008-पी0पी0-I, दिनांक 20.02.2014 से जनपद मुजफ्फरनगर के उक्त योजना के लिए कुल अनुमोदित लागत रू0 655.59 लाख से प्रश्नगत कार्य को करने हेतु उ0प्र0 □□ □□□□ को कार्यदायी संस्था □□□□ □□□□□□ □□□ अनुमोदित केन्द्रांश रू0 491.69 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त केन्द्रांश रू0 2,45,84,000/-(रू0 दो करोड़ पैंतालिस लाख चौरासी हजार मात्र) तथा उसके सापेक्ष बनने वाले राज्यांश रू0 81,95,000/-(रू0 इक्यासी□ □□ □□□□□□□□□□ मात्र) अर्थात् कुल रू0 3,27,79,000/- (रू0 तीन करोड़ सत्ताइस लाख उन्यासी□ □□□ मात्र) □□□□ □□□□ □□□□ वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित बजट रू0 2900.00 □□ के सापेक्ष पारित 04 □□ □□ लेखानुदान में से रू0 327.79 □□ अवमुक्त □□ □□□□ निवर्तन पर रखने व व्यय क□□□ की श्री राज्यपाल □□□□ निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

https://shasanadesh.up.nic.in

(रू0 लाख में)

क्र0	□□□□	□□□□	□□□□	□□□□ □□□□	□□□ अनुमोदित केन्द्रांश	□□□ राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त □□0 / □□0	अवमुक्त द्वितीय किश्त		□□□ अवमुक्त □□□□□□ (□□0+□□0)
								केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मुजफ्फर □□□	हैण्डपम्पों की स्थापन□□	1681	0.39	491.69	163.90	327.80	245.84	81.95	327.79
		□□□=	1681	0.39	491.69	163.90	327.80	245.84	81.95	327.79

1- अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति यदि आवश्यक □□, प्राप्त करके ही किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य-मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समय-02 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

3- अवमुक्त □□□□□ □□□□, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रबन्ध □□□□, □0प्र0 □□ □□□□ को हस्तान्तरित की जायेगी। धनराशि अवमुक्त किये जाने की तिथि से कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य को 03 माह में पूरा कर □□□ □□□□ कार्य को कुल अनुमोदित/स्वीकृत लागत से पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में कोई वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जायेगी। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ □□□□□□, □0प्र0 जल निगम के मध्य इ□ □□□ □□ □□0□0□0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया □□□□

4- मुख्य अभियन्ता, □0प्र0 जल निगम द्वारा अवमुक्त धनरा□□ □□ □□□□□ प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, हैण्डपम्पों की स्थापना के फोटोग्राफ्स तथा हैण्डपम्पों की स्थापना के स्थल की दो-02 प्रतियां निदेशक, अ□पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 □□□□ को उपलब्ध करायी जायेंगी।

5- योजना की गाइड लाइन्स तथा शासन द्वारा समय-02 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकतानुसार आहरित □□ नियमानुसार व्यय की जायेगी।

6- यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

https://shasanadesh.up.nic.in

7- हैण्डपम्पों की स्थापना के सम्बन्ध में शासन के सम्बन्धित विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल-रेट एवं विशिष्टियों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। एम0□□0डी0□□0 योजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले हैण्डपम्पों की स्थापन□ □□ □□□□, क्षेत्रफल आदि वही प्रभावी रहेंगे, जो हैण्डपम्पों की स्थापन□ □□ लिए हैण्डपम्प से सम्बन्धित मूल विभाग में निर्धारित हैं।

8- हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा उसके हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा □□□□ □□ सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के माध्यम से की जायेगी।

9- अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि □□ □□□ आवश्यक धन व्यवस्था वर्ष 2014-15 □□ □□ □□-व्ययक एवं तद्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो ज□□□

11- उक्त के फल स्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 □□ □□-व्ययक के अनुदान संख्य -48 के लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्य□-02-समाज कल्या□-800-अन्य व्यय□-01 केन्द्रीय □ □□□□□□/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत हैण्डपम्पों का अधिष्ठाप□ (□□0 75/□□0 25)-24-□□□ □ निर्माण कार्य के ना□□□□□ □□□□□□

12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी स -□-11-740/□□-2014, दिनांक 03.06.2014 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□□

संख्या 1157(1)/□□□□-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- □□□□□□□□□, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, □□□□□□□□□

2- □□□□□□□□□, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□□

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, □0प्र0 □□□□□

4- संयुक्त □□□□, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11□□□ □□, पर्यावरण □□□, □□0□□0□ 0 काम्पलेक्स □□□□ □□□, नई दिल्ली।

https://shasanadesh.up.nic.in

5- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि □□0□□0डी0□□0 योजनान्तर्गत हैण्डपम्पों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथाआवश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6- प्रबन्ध □□□□, □0प्र0 □□ □□□□ को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त धनराशि से प्रश्नगत कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कराने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

8- मुख्य कोषाधिकारी, □□□□ □□□, □□□□□

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्या□, □□□□□□, □□□□ □□ □□ आश्य से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11 को एक प्रति तथा वित्त (□□-व्ययत□) □□□□□-1 को तीन स्वच्छ प्रति।

11- □□□ □□□, □□0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्या□ □□□ □□ □□ □□0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

12- □□□ □□□, प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

13- गार्ड फाइल।,

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त □□□□

https://shasanadesh.up.nic.in